



2026:AHC:6772

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 19397 वर्ष 2025

सालिक राम

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

..... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अंसार हैदर रिजवी, फिरोज हैदर, मिसबा रिजवी

प्रतिवादी के अधिवक्ता : मुख्य शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री फिरोज हैदर और राज्य के ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री विवेक सिंह को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उन्हें 01.01.1987 को दैनिक मजदूरी के आधार पर लोहारके पद पर नियुक्त किया गया था। उनकी सेवाओं को 15.06.2007 को नियमित किया गया था और वह 31.12.2024 को सेवानिवृत्त हो गए थे, हालांकि, रिट याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति पेंशन लाभ का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जबकि रिट याचिकाकर्ता को 01.01.1987 से उसकी सेवानिवृत्ति तक पेंशन और अन्य लाभों के भुगतान के लिए जारी रहने के रूप में माना जा रहा है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाकर्ता का निर्णय अधिशासी अभियंता, इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल संभाग, प्रयागराज, लोक निर्माण विभाग, प्रयागराज, जिला प्रयागराज द्वारा किया जाएगा।
4. बार में इस तरह की गई प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण रिट याचिकाकर्ता को 22.01.2026 तक दूसरे प्रतिवादी, अधिशासी अभियंता, इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल संभाग, प्रयागराज, लोक निर्माण विभाग, प्रयागराज, जिला प्रयागराज के समक्ष रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक व्यापक प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद, दूसरा प्रतिवादी दो माह के भीतर रिट याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय करेगा।

आदेश दिनांक: जनवरी 12, 2026

राजेश

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।